

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(1)/1/डीईएस/भामाशाह योजना/2014/

दिनांक: 16.01.2015

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय:- भामाशाह नामांकन का द्वितीय सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत पत्र क्रमांक: एफ17(1)/1/डीईएस/भामाशाह योजना/2014 दिनांक 20.11.2014 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा भामाशाह नामांकन के क्रम में जनापत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण करते हुए 7 दिवस में द्वितीय सत्यापन करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर द्वितीय सत्यापन निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिससे भामाशाह कार्ड के प्रिन्टिंग का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है।

भामाशाह नामांकन की द्वितीय सत्यापन प्रक्रिया को निर्बाध व सतत जारी रखने हेतु अब द्वितीय सत्यापन हेतु पीडीएफ के उपलब्धता के संबंध में संबंधित उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/तहसीलदार को मोबाइल पर एसएमएस सन्देश भेज कर सूचित किया जाएगा। द्वितीय सत्यापक को इस सन्देश की प्राप्ति के 3 दिवस की अवधि में पीडीएफ का प्रिन्ट लेकर 7 दिवस में जनापत्ति प्राप्त कर द्वितीय सत्यापन करना होगा। यदि सत्यापक के द्वारा सूचना प्राप्त होने के 10 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर सत्यापन का कार्य नहीं किया जाता है तो द्वितीय सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण मानते हुए पीडीएफ भामाशाह कार्ड मुद्रण हेतु प्रेषित कर दिए जाएंगे। यदि इस प्रक्रिया के बाद भी भामाशाह कार्ड में त्रुटि रहती है तो उसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भाषदीय

(अखिल अरीरा)


शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक:एफ17(1)/1/डीईएस/भामाशाह योजना/2014/

दिनांक: 16.01.2015

प्रतिलिपि-

1. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर.....।
3. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....।
4. एसीपी (उप निदेशक), जिला.....।
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/तहसीलदार.....।



(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग